BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O. A. No. 959 OF 2024

IN THE MATTER OF: -

Lav Mishra …Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. …Respondents

NDOH : 16.12.2024

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit on behalf of the respondent no. 5 Uttar Pradesh Pollution Control Board in Compliance to the order dated 14.11.2024 passed by the this Hon'ble Tribunal	**1-4**
2.	**ANNEXURE R5/1** A true copy of the letter dated 21.10.2024	**5**
3.	**ANNEXURE R5/2** A true copy of the show cause notice dated 11.11.2024	**6-7**
4.	**ANNEXURE R5/3** A true copy of the order dated 11.07.2024 passed by the District Magistrate, Fatehpur	**8-14**
5.	**ANNEXURE R5/4** A true copy of the letter dated 12.12.2024 imposing environment compensation	**15-16**

Respondent No. 5

Through

Amit Shukla
Advocate for the Respondent No. 5
For LEXWEB
Advocates & Legal Advisors
Office at : D- 54, Sector – 48
Noida – 201303
Email: amitshukla@lexweb.in
Ph. No. +91 9999933220; 9999333220

Place: New Delhi
Date: 12.12.2024

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 959 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Lav Mishra **.... Applicant**

Versus

State of UP & Ors. **.... Respondents**

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.5, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 14.11.2024 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

I, Dr. Suresh Chandra Shukla S/o Late Raj Nath Shukla, aged about 59 years, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), Prayagraj do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above I am acquainted with the facts of the case and as such I am authorized and competent to file this affidavit.
2. That present matter is about illegal sand mining under Lalulli, District Fatehpur in violation of conditions of Environmental Clearance and Consent and thereby causing damage to environment.

NOTARY R.C. OJHA Advocate Notary H.Q. Alld Reg.No. 20(20)2001 Exp Date 2-2-2026 GOVT. OF U.P.

3. That vide its order dated 13.09.2024 this Hon'ble Tribunal has constituted a Joint Committee comprising of District Magistrate, Fatehpur and UPPCB with direction to visit the site, collect relevant information and submit a factual report by appointing District Magistrate, Fatehpur as a nodal authority.

4. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 14.11.2024 was pleased to direct as under:

   "...2. However, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as 'UPPCB') has not shown as to what action it has taken against project proponent under environmental laws for illegal mining. Let a reply to this effect be filed by UPPCB within three weeks..."

5. That it is necessary to mention here that UPPCB vide its letter Ref. No. H18875/C-2/Vayu-356/24, dated 21.10.2024 has in-effectuated / revoked the Consent to Operate (CTO) dated 16.02.2023 issued in favour of the project proponent i.e. M/s R. B. Enterprises, Fatehpur till further orders with direction to stop the mining activities. A true copy of the letter dated 21.10.2024 is annexed herewith and marked as **<u>Annexure R5/1</u>**.

NOTARY R.C. OJHA Advocate Notary H.Q. Alld. Reg.No. 20(28)2001 Exp Date 2-2-2026 GOVT. OF U.P.

6. That it is also worthwhile to mention here that vide its letter Ref. No. H19630/C-2/Vayu-356/24 dated 11.11.2024 the UPPCB has also issued a show cause notice regarding imposition of

Environmental Compensation amounting Rs. 1,37,82,600/- (Rs. One Crore Thirty-Seven Lakh Eighty Two Thousand Six Hundred only) against the project proponent.

A true copy of the show cause notice dated 11.11.2024 is annexed herewith and marked as **Annexure R5/2**.

7. That the District Magistrate, Fatehpur has vide its letter dated 11.07.2024 issued a direction to the project proponent to deposit a sum of INR 3,07,14,068/- (after adjustment of Security), INR 1,67,74,575/- against D.M.F. and INR 33,54,915/- against TCS within 15 days.

NOTARY R.C. OJHA Advocate Notary H.C. Alld Reg.No. 20(20)2001 Exp Date 2-2026 GOVT. OF U.P. 12-12-24

A copy of the order dated 11.07.2024 passed by District Magistrate, Fatehpur is annexed herewith and marked as **Annexure R5/3**.

8. That in pursuance to the show cause notice dated 11.11.2024, UPPCB has imposed an Environmental Compensation of INR 1,37,82,600/- vide its letter dated 12.12.2024.

A true copy of the letter dated 12.12.2024 imposing Environment Compensation is annexed herewith and marked as **Annexure R5/4**.

9. That the deponent is most respectfully states that the present litigation is not an adversarial litigation and the answering respondent will not leave any stone unturned to get the order of

this Hon'ble Tribunal complied in its true letter and spirit as regard to the direction passed by this Hon'ble Tribunal.

10. That the Annexure annexed to the present accompanying Affidavit are true copy of their respective original.

11. That the present affidavit on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

DEPONENT

NOTARY R.C. OJHA Advocate Notary H.Q. Alld Reg No. 20(20)2001 Exp. Date 2-2-2026 GOVT. OF U.P. 12-12-24

VERIFICATION:

Verified at Prayagraj on this the 12[th] day of December, 2024 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

This document has been signed before me on ... Shukla Place at Allahabad the document is /are identified by ... Self ... Advocate the purpose of the document has been explained to the executed was Admit the to be Correct And the documents attested

12-12-24 ...endra Ojha Advocate Notary Distt. Head Quarter Alld.

Sign Identified

R. C. Ojha
Advocate Notary
Distt. Head Quarter
Allahabad
12-12-24

Annexure No. R5/1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 H18875
Ref. No ....1सी-21-वायु-356/24

दिनॉक
Date 31-10-24

2 पा. S... 8 K

सेवा मे,

मेसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज
गाटा सं0 64-586, ग्राम उरौली, तहसील-फतेहपुर,
जनपद-फतेहपुर।

विषय– मेसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज, गाटा सं0 64-586, ग्राम उरौली, तहसील-फतेहपुर, जनपद-फतेहपुर को बालू खनन हेतु राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति जल/वायु आदेश दिनांक 16.02.2023 को निष्प्रभावी किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्रांक जी 00997/आर-204/2024 दिनांक 17.10.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि जिलाधिकारी, फतेहपुर के आदेश संख्या 1054/खनिज/ख0प0/उरौली/2024 दिनांक 11.07.2024 द्वारा मैसर्स आर0वी0 इण्टरप्राइजेज, ग्राम-उरौली, तहसील-फतेहपुर, जनपद-फतेहपुर द्वारा पार्टनर श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामकिशोर सिंह, निवासी अर्तरा, चुंगी, शास्त्री नगर, थाना-कोतवाली, बांदा के पक्ष में स्वीकृत बालू/मौरम खनन पट्टा क्षेत्र उरौली को उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-59 मे प्रदत्त अधिकारों के तहत निरस्त किया गया है।

आपकी खनन इकाई को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 21/22 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड द्वारा सी0टी0ओ0 सर्टिफिकेट Ref No. 175629/UPPCB/Allahabad(UPPCBRO) /CTO/both/Fatehpur/2023 dated 16-02-2023 बालू खनन हेतु दिनांक 31.12.2024 तक की अवधि हेतु निर्गत किया गया था। उक्त सहमति आदेश में अधिरोपित विशिष्ट शर्त संख्या-03 निम्नानुसार है –

"..... 3. If the lease agreement expired prior to 31.12.2024, then the validity of this CTO shall stand expired simultaneously with the expiry of mining lease......"

खनन इकाई को राज्य बोर्ड द्वारा जारी सी0टी0ओ0 सर्टिफिकेट दिनांक 16.02.2023 में अधिरोपित शर्त संख्या 3 तथा कार्यालय जिलाधिकारी, फतेहपुर के उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 11.07.2024 के माध्यम से खनन पटटा निरस्त किये जाने के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 17.10.2024 द्वारा आपकी खनन इकाई मैसर्स आर0वी0 इण्टरप्राइजेज, ग्राम-उरौली, तहसील-फतेहपुर, जनपद-फतेहपुर को बालू खनन हेतु राज्य बोर्ड से निर्गत सी0टी0ओ0 सर्टिफिकेट दिनांक 16.02.2023 को रिवोक/खण्डित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 17.10.2024 द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के दृष्टिगत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत आपकी खनन इकाई मैसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज, ग्राम-उरौली, तहसील-फतेहपुर, जनपद-फतेहपुर को बालू खनन हेतु राज्य बोर्ड से निर्गत सी0टी0ओ0 सर्टिफिकेट दिनांक 16.02.2023 को अग्रिम आदेशों तक निष्प्रभावी किया जाता है तथा उक्त स्थल पर लीज आवंटन के सम्बंध में भविष्य में कोई आदेश जारी होने पर तदानुसार कार्यवाही की जायेगी। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त स्थल पर बिना पूर्व अनुमति के खनन कार्य न किया जाये।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 Ref. No H19630/सी-2/वायु-356/24 | दिनांक Date 11/11/24

मेसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज, कार्यालय पता–अर्तरा चुंगी चौकी,
कुशवाहा नगर जिला बॉदा
पार्टनर श्री बीरेंन्द्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह निवासी अतर्रा चुंगी,
शास्त्री नगर थाना कोतवाली, बॉदा

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक जी 01102/आर–204/2023/24–25 दिनांक 06.11.2024 द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या–959/2024 लव मिश्रा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 13.09.2024 को पारित आदेश के क्रम में जिलाधिकारी, फतेहपुर के कार्यालय आदेश संख्या जी 00946/ ओ0ए0 नं0 959/2024/एन0जी0टी0/24–25, दिनांक 30.09.2024 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की जांच हेतु समिति गठित की गयी थी। जिलाधिकारी, फतेहपुर द्वारा गठित जांच समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 16.10.2024 को स्थलीय जांच किया गया।

यह कि खान अधिकारी, फतेहपुर के पत्र संख्या 1519/खनिज/आख्या/ एन0जी0टी0/2024, दिनांक 06.11.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि "मेसर्स आर0बी0 इण्टर प्राइजेज, कार्यालय पता–अर्तरा चुंगी चौकी, कुशवाहा नगर जिला बॉदा, पार्टनर श्री बीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह, निवासी अर्तरा चुंगी, शास्त्री नगर, थाना–कोतवाली, बॉदा के पक्ष में जनपद–फतेहपुर के तहसील–सदर स्थित ग्राम–उरौली के बालू/मोरम सं0–उरौली की गाटा संख्या–64 से 69, 83 से 91तक, 108से 112तक, 115से 121तक, 141से 149तक, 161, 162, 167, 168, 183 से 186 तक, 202 से 210 तक, 234 से 245 तक, 301 से 313 तक, 383 से 390 तक, 395 से 402 तक, 409 से 412 तक, 417 से 423तक, 463, 464, 587/471, 471 से 475 तक, 499, 500, 505 से 510 तक, 537 से 544 तक, 561 से 565 तक, 577 से 579 तक, 585, 586 कुल रकबा 50.00हे0 दिनांक 07.05.2022 से दिनांक 06.05.2027 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित किया गया था।

यह कि उक्त खनन पट्टा संचालन अवधि के दौरान जॉच आख्या दिनांक 17.06.2023 के अनुसार **स्वीकृत क्षेत्र के बाहर कुल 4836 घन0मी0** बालू/मोरम का अवैध खनन पर परिवहन किये जाने के कारण उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, निर्गत नोटिस के क्रम में पट्टाधारक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिउत्तर का निस्तारण करने के उपरान्त रायल्टी एवं खनिज मूल्य रू0–43,52,400/– तथा शास्ति रू0–5,00,000/– कुल धनराशि रू0–48,52,400/– आरोपित किया गया। उक्त के अतिरिक्त अन्य अनियमिताओं एवं खनन पट्टा किश्त, टी0सी0एस0 तथा डी0एम0एफ0 की धनराशि बकाया होने के कारण जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 11.07.2024 के माध्यम से खनन पट्टा निरस्त किया गया है।

खान अधिकारी, फतेहपुर की उपरोक्त आख्या से स्पष्ट है कि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर 4836 घनमीटर बालू/मौरम का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है। खान अधिकारी, फतेहपुर के पत्र दिनांक 06.11.2024 के द्वारा बालू/मौरम का बाजार मूल्य लगभग रू0 950/– प्रतिघन मीटर की सूचना उपलब्ध करायी गयी है। जिसके अनुसार 4836 घनमीटर बालू/मौरम का कुल बाजार मूल्य रूपये 45,94,200/– है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाईडलाईन में निर्धारित फार्मूले के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है :–

Environmental Compensation = Dx (1+RF+DF)
= 4836 cubic meter @ Rs. 950.00 per cubic meter x(1+1+1)
= 1,37,82,600.00

(Total Rs. One crore thirty seven lacs eighty two thousand six hundred only).

प्रश्नगत प्रकरण में स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर पूर्णतया अवैध खनन किये जाने के कारण RF (Risk Factor) = 1 एवं DF (Deterrence Factor) = 1 लिया गया है।

........2/–

क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 06.11.2024 द्वारा उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त पट्टाधारक मेसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज, कार्यालय पता–अर्तरा चुंगी चौकी, कुशवाहा नगर जिला बॉदा, पार्टनर श्री बीरेंन्द्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह निवासी अतर्रा चुंगी, शास्त्री नगर थाना कोतवाली, बॉदा द्वारा जनपद फतेहपुर के ग्राम–उरौली , तहसी–सदर में स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर किये गये अवैध बालू/मोरम खनन (कुल मात्रा 4836 घनमीटर) हेतु कुल धनराशि रू0 1,37,82,600.00/– (रू0 एक करोड़ सैतीस लाख बयासी हजार छः सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 06.11.2024 द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न खनन इकाई मेसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज, कार्यालय पता–अर्तरा चुंगी चौकी, कुशवाहा नगर जिला बॉदा, पार्टनर श्री बीरेंन्द्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह निवासी अतर्रा चुंगी, शास्त्री नगर थाना कोतवाली, बॉदा द्वारा जनपद फतेहपुर के ग्राम–उरौली , तहसी–सदर में स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर 4836 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन किये के कारण रूपये 1,37,82,600.00/– (रू0 एक करोड़ सैतीस लाख बयासी हजार छः सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार मेसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज, कार्यालय पता–अर्तरा चुंगी चौकी, कुशवाहा नगर जिला बॉदा, पार्टनर श्री बीरेंन्द्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह निवासी अतर्रा चुंगी, शास्त्री नगर थाना कोतवाली, बॉदा के विरूद्ध रूपये 1,37,82,600.00/– (रू0 एक करोड़ सैतीस लाख बयासी हजार छः सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

संलग्नक–यथोपरि।

Atulesh Yadav

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति इकाई स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Atulesh Yadav

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

Annexure No. R5/3

आदेश

मेसर्स आर0बी0 इण्टर प्राइजेज, कार्यालय पता–अर्तरा चुंगी चौकी, कुशवाहा नगर जिला बॉदा, पार्टनर श्री बीरेंन्द्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह निवासी अतर्रा चुंगी, शास्त्री नगर थाना कोतवाली, बॉदा के पक्ष में जनपद फतेहपुर के तहसील सदर स्थित ग्राम उरौली के बालू/मोरम खण्ड सं0–उरौली की गाटा संख्या–64 से 69, 83 से 91तक, 108से 112तक, 115से 121तक, 141से 149तक, 161, 162, 167, 168, 183 से 186 तक, 202 से 210 तक, 234 से 245 तक, 301 से 313 तक, 383 से 390 तक, 395 से 402 तक, 409 से 412 तक, 417 से 423तक, 463, 464, 587/471, 471 से 475 तक, 499, 500, 505 से 510 तक, 537 से 544 तक, 561 से 565 तक, 577 से 579 तक, 585, 586 कुल रकबा 50.00हे0 का खनन पट्टा दिनांक 07.05.2022 से 06.05.2027 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत/निष्पादित है।

खनन पट्टा संचालन अवधि के दौरान स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र की जॉच विभिन्न तिथियों में की गयी। जॉच मे पायी गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में निम्न विवरण के अनुसार नोटिस निर्गत की गई :–

तालिका–1

क्र	जॉच का दिनांक	जॉच के दौरान खनन क्षेत्र मे पायी गयी अनियमितता	जॉच आख्या के आधार पर कार्यालय द्वारा निर्गत नोटिस का विवरण	पट्टाधारक द्वारा किये गये कृत्य के अनुसार नियम का उल्लंघन	उल्लंघन के अनुसार नोटिस मे निहित शास्ति/जुर्माना की धनराशि के सापेक्ष वर्तमान मे आरोपित शास्ति व अन्य धनराशि
1	2	2	4	5	6
1.	27.12.2022	जॉच के दौरान 17 वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक/बिना परिवहन प्रपत्र के पाये गये	पत्र सं0–16/30–खनिज (2022–2023) दिनांक 07.01.2023	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार नियमावली–2021 के नियम–60(6)	**4,25,000/–**
2.	28.02.2023	जलस्तर आने के बाद भी खनन कार्य किये जाने से उ0प्र0 खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–42(ज) का उल्लंघन है	पत्र सं0–211/ खनिज (2022–2023) दिनांक 28.03.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–60(4) का उल्लंघन है	**5,00,000/–**
3.	17.06.2023	स्वीकृत क्षेत्र से बाहर **60X40X1=2400** घ0मी0 एवं **58X42X1=2436**घ0मी0 कुल 4836घ0मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन किया गया, जो उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58 व 72 का उल्लंघन है। स्वीकृत क्षेत्र के बाहर रास्ते मे कुल 06 वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक उपखनिज परिवहन करते हुये पड़े गये, जिन पर एम–चेक के मायम से आनलाइन चालान किया गया। उक्त	कार्यालय पत्र सं0–456/ खनिज/2023/उरौली दिनांक 27.06.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 व 60(6) का उल्लंघन है	रायल्टी एवं खनिज मूल्य **रु0–43,52,400/–** शास्ति **रु0–5,00,000/–** लोडिंग सन्नियों के उल्लंघन पर 06 वाहनों से **रु0–1,50,000/–**

		कृत्य उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियम–60 (6) का उल्लंघन है			
4.	23.06.2023	01 पिलर गिरा हुआ पाया गया। स्वीकृत खनन क्षेत्र मे सीमा स्तम्भ का अनुरक्षण नही किये जाने के कारण उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–36 (1) का उल्लंघन है। 04 वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक उपखनिज का परिवहन करते हुये पाये गये, जो नियम–60 (6) का उल्लंघन है	कार्यालय पत्र सं0–461/खनिज/2023/उरौली दिनांक 30.06.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–60 (3)व 60(6) का उल्लंघन है	सीमा स्तम्भों का अनुरक्षण नही करने पर रु0–25,000/– लोडिंग सन्नियमों के उल्लंघन पर 04 वाहनों से रु0–1,00,000/–
5.	02.01.2024	स्वीकृत क्षेत्र मे सीमा स्तम्भ अनुरक्षित नही पाये गये, जो उ0प्र0 खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–36(1)का उल्लंघन है। पी0टी0जेड0 कैमरा क्रियाशील नही पाया गया, जो उ0प्र0 खनिज (परिहार) नियमावली–36(2) स्वीकृत क्षेत्र से बाहर कुल 113घ0मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन पाया गया, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 का उल्लंघन है।	कार्यालय पत्र सं0–461/खनिज/ख0प0/उरौली 2024 दिनांक 18.01.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम 60 (3) व नियम–3, 58, 72 का उल्लंघन है	सीमा स्तम्भों का अनुरक्षण नही करने पर रु0–25,000/– पी0टी0जेड0 कैमरा क्रियाशील नही होने पर रु0–25,000/– रायल्टी एवं खनिज मूल्य रु0–1,01,700/– शास्ति रु0–5,00,000/–
6.	10.02.2024	स्वीकृत क्षेत्र मे सीमा सतम्भ अनुरक्षित नही पाये गये, जो उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–36 (1) का उल्लंघन है, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 1000क्वायर मीटर मे 01 मीटर की गहराई मे कुल 1000घ0मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किया गया है, जो उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 का उल्लंघन है।	कार्यालय पत्र सं0–236/खनिज/ख0प0/उरौली 2024 दिनांक 19.02.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम 60 (3) व नियम–3, 58, 72 का उल्लंघन है	सीमा स्तम्भों का अनुरक्षण नही करने पर रु0–25,000/– रायल्टी एवं खनिज मूल्य रु0–9,00,000/– शास्ति रु0–5,00,000/–
7.	21.02.2024	जलस्तर आने के बाद भी खनन कार्य किये जाने से उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–42(ज) का उल्लंघन है।	कार्यालय पत्र सं0–268/खनिज/ख0प0/उरौली 2024 दिनांक 24.02.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–60 (4) का उल्लंघन है	जलस्तर आने के उपरान्त खनन कार्य किये जाने के आरोप में रु0–5,00,000/–

8.	19.03.2024	स्वीकृत क्षेत्र मे सीमा स्तम्भ अनुरक्षित नही पाये गये, जो उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–36 (1) का उल्लंघन है, जलस्तर आने के बाद भी खनन कार्य किये जाने से उ0प्र0 खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–42 (ज) का उल्लंघन है	कार्यालय पत्र सं0–436 / खनिज / ख0प0 / उरौली 2024 दिनांक 04.04.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम 60 (3) व (4) का उल्लंघन है	सीमा स्तम्भों का अनुरक्षण नही करने पर रु0–25,000/– जलस्तर आने के उपरान्त खनन कार्य किये जाने के आरोप में रु0–5,00,000/–
9.	30.03.2024	स्वीकृत क्षेत्र के बाहर कुल मात्रा 644.80 घ0मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन किये जाने के कारण उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 का उल्लंघन है	कार्यालय पत्र सं0–435 / खनिज / ख0प0 / उरौली 2024 दिनांक 04.04.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम 3, 58, 72 का उल्लंघन है	रायल्टी एवं खनिज मूल्य रु0–5,80,320/– शास्ति रु0–5,00,000/–
				योग	1,02,34,420/–

उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–36 (2) में यह प्राविधानित है कि "खनन पट्टा धारक जिसका खनन पट्टा क्षेत्र 05 हेक्टेयर से अधिक है, परिवहन के निगरानी के लिए, स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित एक चैक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चैक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा जिससे सम्बन्धित खनन पट्टाकृत क्षेत्र के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई–प्रपत्र एम0एम0–11 पर अंकित बारकोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख–रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप मे अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सभी सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिन तक रखेगा और नियम–67 के उपबन्धों के अधीन यथा उपबन्धित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उक्त रिकार्डिंग उपलब्ध करायेगा।"

उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–42 (ज)(1) में यह प्राविधानित है कि "पट्टेदार नदी तल मे तीन मीटर की गहराई अथवा जल स्तर जो भी कम हो, के परे कोई खनन संक्रियायें नहीं करेगा और कोई खनन, जिलाधिकारी द्वारा ऐसे परीक्षण किये गये सुरक्षा क्षेत्र मे नही किया जायेगा : प्रतिबन्ध यह है कि कोई खनन, जलधारा मे सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि की सहायता से नही किया जायेगा।"

उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–60(4) में यह प्राविधानित है कि "नियम 42 (ज) के अधीन उपबन्धित उपबन्धों के अनुसार जल धारा मे सक्शन मशीन/लिफ्टर के माध्यम से खनन कार्य निषिद्ध होगा। यदि कोई पट्टाधारक उक्त नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो प्रत्येक अवसर पर पॉच लाख रूपये की दर से शास्ति के लिए दायी होगा, जो जिला मजिस्ट्रेट या निदेशक के आदेश पर वसूला जायेगा। शास्ति की उपरोक्त उल्लिखित धनराशि को जमा करने मे विफल होने पर उस धनराशि को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित पट्टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती की जायेगी"।

उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–36(1) में यह प्राविधानित है कि "पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र के सीमांकन मानचित्र पर कोर्डिनेटस चिन्हांकित किये जायेंगे तथा पट्टा विलेख निष्पादित करने के पूर्व पट्टेदार अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमांचिन्ह को और खम्भे को परिनिर्मित करेगा और सदैव अनुरक्षित करेगा और अच्छी स्थिति मे रखेगा, जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे मे दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक हो"।

उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–60(3) में यह प्राविधानित है कि ''यदि पट्टाधारक, नियम 36 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो प्रत्येक चूक के लिए प्रतिदिन पच्चीस हजार रूपये की दर से शास्ति, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उदगृहीत की जायेगी। ऐसी उदगृहीत शास्ति को जमा करने पर चूक की दशा मे उक्त धनराशि की कटौती संबंधित जिला मजिस्ट्रेट उक्त खनन पट्टा के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति की धनराशि से करेगा''।

उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3 में यह प्राविधानित है कि ''कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी क्षेत्र मे किसी ऐसे उपखनिज की, जिरा पर यह नियमावली प्रयोज्य हो, इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा–पत्र की निबन्धन और शर्तों के अधीन और उसके अनुसार के अतिरिक्त कोई खनन संक्रियाएं नही कर सकेगा।''

उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–58 में यह प्राविधानित है कि ''जो कोई नियम 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करे व दोष सिद्ध हो जाने पर दोनों मे से किसी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डनीय होगा, जो पॉच वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अन्यून दो लाख रूपये एवं अधिकतम पॉच लाख रूपये तक हो सकता है अथवा दोनों दण्डों से दण्डनीय होगा।''

उक्त तालिका के क्रमांक 01 लगायत 09 मे उल्लिखित जॉच आख्याओं के क्रम में निर्गत नोटिसों में से मात्र क्रमांक 03 मे उल्लिखित कार्यालय पत्र सं0–456/ खनिज/2023/उरौली दिनांक 27.06.2023 का उत्तर निम्नवत् प्रस्तुत किया गया :–

नोटिस सं0–456 दिनांक 27.06.2023 के जवाब मे उल्लिखित किया गया है कि *''प्रार्थी का क्षेत्र 50हे0 का है और प्रत्येक वर्ष 3,75,000घ0मी0 मोरम का खनन किये जाने हेतु दिया गया है। प्रार्थी के क्षेत्र मे मिट्टी मिली हुई बोगदा बालू लगभग 1.00 से 1.5 मीटर की गहराई तक है, जिसकी क्वालिटी बहुत खराब है, प्रार्थी उसको हटाकर खनन करता है, खराब क्वालिटी की मोरम को क्षेत्र मे ही ढेर के रूप मे एकत्रित करना पड़ता है, कहीं–कहीं स्वीकृत क्षेत्र के किनारों के पास जब खनन किया जाता है तो खराब क्वालिटी की मोरम को क्षेत्र के बाहर भी खदान मे कार्यरत कर्मचारियों द्वारा डाल दिया गया है। प्रार्थी ने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर मोरम का अवैध खनन नही किया गया है, टीम द्वारा क्षेत्र के बाहर पड़े हुये ओवरबर्डन को अवैध खनन बता दिया गया है। दिनांक 17.06.2023 की जॉच मे प्रार्थी खनन पट्टा क्षेत्र मे उपस्थित भी नही था, यदि प्रार्थी उपस्थित होता तो सारे तथ्यों से टीम को अवगत कराता, हम लोगों द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन नही किया गया है। स्वीकृत क्षेत्र मे ही खनन कार्य किया गया है, जिसकी पूर्व मे जॉच से स्पष्ट है। जॉच के समय पट्टाधारक/प्रतिनिधि के रूप मे कोई मौके पर उपस्थित नही था, हमारे क्षेत्र मे ओवरबर्डन की मात्रा अधिक है तथा ओवरबर्डन को स्वीकृत क्षेत्र से बाहर रखा गया था, जिसे जॉच टीम द्वारा अवैध खनन माना गया है। जॉच टीम को अवैध खनन के कोई गड्ढे नही मिले हैं ओवर बर्डन को देखकर अनुमान लगाया गया है। मौके पर हमारे रहने से उसकी यथास्थिति से टीम को अवगत कराया जाता, परन्तु नही रहने से टीम को यथास्थिति से अवगत न होने के कारण टीम द्वारा अवैध खनन बताया जा रहा है। जॉच टीम द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर किस दिशा मे अवैध खनन पाया गया, इसका भी वर्णन नही है। क्योंकि क्षेत्र मे स्वीकृत एरिया से बाहर हर जगह ओवरबर्डन है ऐसी स्थिति में ओवरबर्डन को अवैध खनन कहना सही नही है। उक्त की जॉच हमारे उपस्थित मे पुनः की जा सकती है। जॉच टीम द्वारा 06 वाहन ओवरलोड होना बताया गया है, परन्तु उक्त वाहनों का विवरण नही है, जिससे अपने डाटा से चेक करने मे परेशानी हो रही है। उक्त वाहनों पर हमारे यहॉ के परिवहन प्रपत्र पाये गये है तो उसका विवरण देने का कष्ट करें, जिससे मै सही स्थिति से अवगत करा सकूँ। बोर्ड व पिलर लगा हुआ है, क्षेत्र का पिलर मौके पर ही गिर गया था, जो जॉच टीम द्वारा पाया गया। उक्त से स्पष्ट है कि हमलोगों द्वारा पिलर लगाया हुआ था, आधी–तूफान मे गिरने से उसे लगा हुआ नही लिखना न्यायोचित नही है।*

उक्त उत्तर के अन्त में जनपद स्तर की टीम के साथ आवश्यक रूप से निदेशाल के तकनीकी अधिकारियों की एक टीम बनावाकर प्रार्थी की उपस्थित मे खण्ड की सही ढंग से दुबारा जॉच कराये जाने का अनुरोध किया गया है।"

पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त उत्तर/स्पष्टीकरण का अवलोकन/परिशीलन किया गया, पट्टाधारक का मुख्य कथन कि 'खनन पट्टा क्षेत्र मे अवैध खनन नही किया गया है, टीम द्वारा ओवरबर्डन को ही अवैध खनन के रूप मे नाप कर अवैध खनन लगाया गया है, यह तथ्य मान्य नही है, क्योंकि उक्त जॉच दिनांक 17.06.2023 मे जनपदीय खान अधिकारी, प्रभारी अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज एवं उप जिलाधिकारी सदर सम्मिलित थे, खान अधिकारी/प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज खनन क्षेत्र मे हुये अवैध खनन एवं रखे गये ओवरबर्डन पर स्पष्ट अन्तर देखने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। उक्त जॉच दिनांक को पकड़े गये अवैध खनन की कार्यवाही से बचने के उदेश्य से पट्टाधारक द्वारा ओवरबर्डन का सहारा लेकर क्षेत्र की पुनः जॉच की मॉग मानसून सत्र मे की गई है, जो मान्य नही है। साथ ही उक्त खनन क्षेत्र के रास्ते मे ही बिना परिवहन प्रपत्र के वाहन पकड़े गये थे, इसमे पट्टाधारक यह कथन कि वाहनों का विवरण उपलब्ध नही कराया गया है, तथ्यहीन है। उक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत उत्तर/स्पष्टीकरण तथ्यहीन/साक्ष्यहीन/संतोषजनक नही होने के कारण निरस्त करते हुये निस्तारित किया गया है।

उपरोक्त नियमों का उल्लंघन किये जाने के क्रम में क्रमांक-3 मे उल्लिखित नोटिस के अतिरिक्त निर्गत अन्य 08 नोटिसों का पट्टाधारक द्वारा कोई जवाब/उत्तर प्रस्तुत नही किया गया और न ही नोटिस मे उल्लिखित शास्ति/जुर्माना/रायल्टी/खनिज मूल्य जमा किया गया है।

उक्त खनन पट्टा के सम्बन्ध मे पट्टाधारक द्वारा माह अप्रैल, 2024 मे देय निर्धारित किश्त रु0-78,78,750/- के सापेक्ष मात्र रु0-9,32,425/- जमा किया गया है, माह अप्रैल की देय किश्त मे कुल रु0-69,46,325/- जमा किया जाना शेष है। माह मई, 2024 मे देय तृतीय वर्ष की प्रथम किश्त (20 प्रतिशत) की धनराशि रु0-1,73,33,250/- की देयता बन गई है, परन्तु पट्टाधारक द्वारा किश्त की धनराशि जमा नही की गई है। खनन पट्टा अनुबन्ध मे अंकित पंचम अनुसूची के अनुसार माह की प्रथम तारीख को देय मासिक किश्त का अग्रिम भुगतान करना होता है, देय किश्तों की बकाया धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

तालिका-2

माह	देय किश्त की धनराशि	जमा किश्त की धनराशि	**किश्त की अवशेष बकाया धनराशि**
1	2	3	**4**
अप्रैल, 2024	78,78,750/-	9,32,425/-	69,46,325/-
मई, 2024	1,73,33,250/-	--	1,73,33,250/-
योग	**2,52,12,000/-**	**9,32,425/-**	**2,42,79,575/-**

कार्यालय पत्र सं0-1080/30-खनिज (2022-2023) दिनांक 27.07.2022 एवं कार्यालय पत्र सं0-322/खनिज/डी0एम0एफ0-टी0सी0एस0/2023 दिनांक 10.05.2023 द्वारा समय-समय पर डी0एम0एफ0 एवं टी0सी0एस0 की बकाया धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु पट्टाधारक द्वारा धनराशि जमा नही की गई। माह मई, 2022 से माह मई, 2024 तक निम्न विवरण के अनुसार डी0एम0एफ0 एवं टी0सी0एस0 की देयता बनती है :-

तालिका-3

क्र0	मद	विवरण	बकाया धनराशि
1.	डी0एम0एफ0	माह मई, 2022 से माह मई, 2024 तक	**1,67,74,575/-**
2.	टी0सी0एस0	माह मई, 2022 से माह मई, 2024 तक	**33,54,915/-**

यू0पी0एम0डी0एस0एस0 पोर्टल के अनुसार निम्न विवरण के अनुसार आनलाइन नोटिस निर्गत की गई है, जिसके सम्बन्ध मे आप द्वारा कोई धनराशि जमा नही की गई और न ही कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है, का विवरण निम्नवत् है :–

तालिका–4

क्र0	मद	विवरण			वाल्युम मिसमैच नोटिसों की बकाया धनराशि	विदआउट ई–एम0एम0–11 नोटिसों की बकाया धनराशि
		लीज आईडी	वाल्युम मिसमैच नोटिसों की संख्या	विदआउट ई–एम0एम0–11 नोटिसों की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7
1.	यू0पी0एम0डी0एस0एस0 पोर्टल पर वाल्यूम मिसमैच एवं बिद आउट ई–एम0एम0–11 के आनलाइन नोटिस	314322070126	25	143	1,07,793/–	38,50,000/–
		314323070179	12	401	73,530/–	1,00,75,000/–
		योग	37	544	**1,81,323/–**	**1,39,25,000/–**
		कुल योग (कालम नम्बर–6 व 7)			**1,41,06,323/–**	

उपरोक्तानुसार मोरम खण्ड सं0–उरौली में उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली–2021 के उक्त नियमों एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण उपरोक्त तालिका–1, 2, 3 व 4 में उल्लिखित विवरण के अनुसार धनराशि की देयता बनती है।

पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत उत्तर/स्पष्टीकरण को खारिज करते हुये उपरोक्त बकाया धनराशि को जमा करने हेतु कार्यालय पत्र सं0–706/खनिज/ख0प0/आर0बी0/2024 दिनांक 22.05.2024 के माध्यम से अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई, परन्तु निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पट्टाधारक द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया गया और न ही बकाया धनराशि ही जमा नही की गई।

मेसर्स आर0बी0 इण्टर प्राइजेज, कार्यालय पता–अर्तरा चुंगी चौकी, कुशवाहा नगर जिला बॉदा, पार्टनर श्री बीरेंन्द्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह निवासी अतर्रा चुंगी, शास्त्री नगर थाना कोतवाली, बॉदा पट्टाधारक मोरम खण्ड सं0–उरौली के द्वारा उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली–2021 के उक्त नियमों एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण उपरोक्त तालिका–1, 2, 3 व 4 में उल्लिखित विवरण के अनुसार धनराशि की देयता बनी है। पट्टाधारक का यह कृत्य उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–42(ज), 60(6), 3, 58, 72, 36(1), (2) एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–59 मे प्रदत्त अधिकारों के तहत मेसर्स आर0बी0 इण्टर प्राइजेज, कार्यालय पता–अर्तरा चुंगी चौकी, कुशवाहा नगर जिला बॉदा, पार्टनर श्री बीरेंन्द्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह निवासी अतर्रा चुंगी, शास्त्री नगर थाना कोतवाली, बॉदा के पक्ष में स्वीकृत खनन उपरोक्त बालू/मोरम खनन पट्टा क्षेत्र उरौली को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है एवं बकाया धनराशि को जमा किये जाने के सम्बन्ध मे निम्नवत् आदेश पारित किये जाते हैं :–

1. **तालिका–1** मे उल्लिखित शास्ति सहित कुल बकाया धनराशि **रु0–1,02,34,420/–**, **तालिका–2** में उल्लिखित खनन पट्टा किश्त की बकाया धनराशि **रु0–2,42,79,575/– तालिका–4** मे उल्लिखित यू0पी0एम0डी0एस0एस0 पोर्टल पर वाल्यूम मिसमैच एवं बिद आउट ई–एम0एम0–11 के आनलाइन नोटिस की धनराशि **रु0–1,41,06,323/–** कुल धनराशि **रु0–4,86,20,318/– को जमा प्रतिभूति की धनराशि 1,79,06,250/– मे समायोजित किया जाता है। पट्टाधारक को निर्देशित किया जाता है कि समायोजन के उपरान्त अवशेष बकाया धनराशि रु0–3,07,14,068/–**आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर निर्धारित लेखाशीर्षक "0853"/राजकोष के एकेवी कोड के माध्यम से जमा कर चालान की प्रति खनिज कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

डी0एम0एफ0 की बकाया धनराशि रु0–**1,67,74,575/–** जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास फतेहपुर के खाता संख्या–37171070081 आई0एफ0एस0सी0 कोड–SBIN0000076 मे, तथा देय टी0सी0एस0 की धनराशि रु0–रु0–**33,54,915/–** को निर्धारित टैन नं0–ALDD00887F में) आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर जमा कराकर जमा रसीद/चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। उक्त के अतिरिक्त यदि अन्य कोई देयता बनती है, तो उसकी वसूली पृथक से की जायेगी।

3. पट्टाधारक द्वारा उपरोक्त अधिरोपित धनराशि नियत समय मे जमा नही करने पर नियमानुसार बकाया धनराशि की वसूली समस्त भागीदारों से भू–राजस्व के बकाये की भॉति वसूल किये जाने हेतु वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किया जाये।

उपरोक्त आदेश की एक प्रति सम्बन्धित को पंजीकृत डाक/ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जाये।

जिलाधिकारी,
फतेहपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, फतेहपुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 1054/खनिज/ख0प0/उरौली/2024 दिनांक 11/07/2024

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
3. आयुक्त प्रयागराज मण्डल प्रयागराज।
4. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी खनिज फतेहपुर।
5. मेसर्स आर0बी0 इण्टर प्राइजेज, कार्यालय पता–अर्तरा चुंगी चौकी, कुशवाहा नगर जिला बॉदा, पार्टनर श्री बीरेंन्द्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह निवासी अतर्रा चुंगी, शास्त्री नगर थाना कोतवाली, बॉदा।

10/7/24

जिलाधिकारी,
फतेहपुर।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 / Ref. No 142130 /सी-2/वायु-356/24

दिनॉक / Date 12/12/24

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज, कार्यालय पता–अतर्रा चुंगी चौकी,
कुशवाहा नगर जिला बाँदा
पार्टनर श्री बीरेंन्द्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह निवासी अतर्रा चुंगी,
शास्त्री नगर थाना कोतवाली, बॉदा।

विषय– मेसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज, कार्यालय पता–अतर्रा चुंगी चौकी, कुशवाहा नगर जिला बाँदा, पार्टनर श्री बीरेंन्द सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह निवासी अतर्रा चुंगी, शास्त्री नगर थाना कोतवाली, बॉदा के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्रांक एच–19630/सी–2/वायु–356/24 दिनांक 11.112024 के द्वारा मेसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज, कार्यालय पता–अर्तरा चुंगी चौकी, कुशवाहा नगर जिला बाँदा, पार्टनर श्री बीरेंन्द्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह निवासी अतर्रा चुंगी, शास्त्री नगर थाना कोतवाली, बाँदा द्वारा जनपद फतेहपुर के ग्राम–उरौली, तहसील–सदर में स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर किये गये अवैध बालू/मोरम खनन (कुल मात्रा 4836 घनमीटर) हेतु कुल धनराशि रू0 1,37,82,600.00/– (रू0 एक करोड़ सैतीस लाख बयासी हजार छः सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस दिनांक 11.11.2024 जारी किया गया था।

क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 10.12.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार उक्त सैण्ड माईनिंग प्रोजेक्ट का अद्यतन निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 09.12.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय माईनिंग स्थल पर कोई खनन सम्बन्धी गतिविधियां नहीं पायी गयी और न ही इकाई का कोई प्रतिनिधि उपस्थित था। खनन स्थल पर खनन से सम्बन्धित कोई मशीनरी एवं ट्रांसपोर्टेशन हेतु मोटर वेहिकल्स नहीं पाई गयी। राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 11.11.2024 के द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी कारण बताओ नोटिस के सन्दर्भ में कोई प्रतिउत्तर राज्य बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है।

क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दि0 10.12.2024 द्वारा मेसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज, कार्यालय पता–अर्तरा चुगी चौकी, कुशवाहा नगर जिला बाँदा, पार्टनर श्री बीरेंन्द्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह निवासी अतर्रा चुंगी, शास्त्री नगर थाना कोतवाली, बाँदा द्वारा जनपद फतेहपुर के ग्राम–उरौली, तहसील–सदर में स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर किये गये अवैध बालू/मोरम खनन (कुल मात्रा 4836 घनमीटर) हेतु कुल धनराशि रू0 1,37,82,600.00/– (रू0 एक करोड़ सैतीस लाख बयासी हजार छः सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 11.11.2024 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 10.12.2024 द्वारा परियोजना पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु प्रेषित संस्तुति आख्या एवं सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मेसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज, कार्यालय पता–अर्तरा चुंगी चौकी, कुशवाहा नगर जिला बाँदा, पार्टनर श्री बीरेंन्द्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह निवासी अतर्रा चुंगी, शास्त्री नगर थाना कोतवाली, बाँदा पर रू0 1,37,82,600.00/– (रू0 एक करोड़ सैतीस लाख बयासी हजार छः सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विविरण के माध्यम से जमा किया जानां सुनिश्चित किया जाये:–

Payment Gateway- http://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB
Nature of Pollution-Air Pollution
EC imposed in Compliance-UPPCB Order।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

Atulesh yadav.
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

12/12/24
12/12/2024

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, फतेहपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

Atulesh yadav.
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

Ok